वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] **भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अगस्त, 2017-श्रावण 20, शके 1939**

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि डॉ. अमित कालरा पुत्र डॉ. सी.पी. कालरा, निवासी 9-ए, सरस्वती नगर, यूनिवर्सिटी रोड, सिल्वर स्टेट के पास, सिटी सेंटर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश हूँ.

मैं, शपथपूर्वक सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री मुस्कान कालरा (MUSKAAN KALRA) (Old Name) है. जिसका नाम अब परिवर्तित होकर मायरा कालरा (MAYRA KALRA) (New Name) हो गया है. अत: भविष्य में मेरी पुत्री को उसके नये नाम मायरा कालरा (MAYRA KALRA) से जाना एवं पहचाना जावे एवं सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय अन्य समस्त दस्तावेजों में मान्य किया जावे.

अमित कालरा,

(270-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती प्रिया फडनवीस (Smt. Priya Fadanvis) यह घोषणा करती हूँ कि मेरा विवाह श्री विष्णु फडनवीस के साथ होने के उपरांत मेरे सर्विस एवं अन्य रिकॉर्ड्स में मेरा नाम (श्रीमती प्रिया फडनवीस) दर्ज कराया जा चुका है. विवाह पूर्व मेरा नाम कु. सुनीता आत्मजा श्री मदन दामोदर सिरपुरकर था. अब इस जाहिर सूचना के द्वारा मैं अपने विवाह उपरांत नाम श्रीमती प्रिया फडनवीस से ही जानी जाऊंगी.

पुराना नाम :

(कु. सुनीता)
आत्मजा श्री मदन दामोदर सिरपुरकर,

नया नाम :

(प्रिया फडनवीस)
पितु: स्मृति, पुलिस थाने के पीछे,
पश्चिम बुधवारी, छिन्दवाड़ा (म.प्र.).

(271-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह के पूर्व का नाम रामरति राय पुत्री श्री सीताराम ओमरे, निवासी समदड़िया सिटी, माधवनगर, कटनी था, विवाह के पश्चात् सामाजिक एवं धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार मेरा नया नाम श्रीमती नीलम राय पत्नि श्री चन्द्रमणी राय हो गया है. मेरे सभी दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट एवं परिचय-पत्र एवं बैंक एकाउन्ट इत्यादि में रामरति राय दर्ज है. अत: राजपत्र प्रकाशन के पश्चात् से मेरा नाम श्रीमती नीलम राय पत्नि श्री चन्द्रमणी राय से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाये तथा सभी दस्तावेजों शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यों में लिखा एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम : नया नाम :

(रामरति राय) **(नीलम राय)**

(272-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम चन्द्रमणी राय पुत्र श्री सुन्दर लाल राय, निवासी समदड़िया सिटी, माधवनगर, कटनी है. जबकि मेरे सभी दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट एवं परिचय-पत्र एवं बैंक एकाउन्ट इत्यादि में चन्द्रमणी राय दर्ज है. जबकि मेरे स्थायी लेखा संख्या क्रमांक AFEPR6701C में मेरा नाम विकास राय है. जबकि मुझे चन्द्रमणी राय के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है. अत: राजपत्र प्रकाशन के पश्चात् से मेरा नाम चन्द्रमणी राय से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाये तथा सभी दस्तावेजों शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यों में लिखा एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम : नया नाम :

(विकास राय) **(चन्द्रमणी राय)**

(273-बी.)

CHANGE OF NAME

This is to hereby publicly notify that my daughter's name is MUSKAAN KALRA D/o AMIT KALRA which is now changed to MAYRA KALRA D/o AMIT KALRA. Therefore my daughter will be henceforth konwn and identified as MAYRA KALRA D/o AMIT KALRA.

Amit Kalra,

(270A-B.)

सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. जय कामदगिरि मिनरल्स, लवकुशनगर का पंजीयन सहायक पंजीयक, फर्म एवं सोसायटी, सागर द्वारा 06/12/12/00082/11, सन् 2011-12, दिनांक 13 सितम्बर, 2011 से किया गया है. फर्म में अभी तक भागीदार 1. श्री नत्थू अहिरवार आत्मज श्री नौरा अहिरवार, निवासी ग्राम व पोस्ट-दिदवारा, तहसील-लवकुशनगर, जिला-छतरपुर (म.प्र.), 2. श्री इन्द्रपाल पटेल आत्मज श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल, निवासी-तलइयॉ मोहल्ला, लवकुशनगर, जिला-छतरपुर (म.प्र.), 3. श्री लक्ष्मण दास गुप्ता आत्मज श्री सीताराम गुप्ता, निवासी-पुराना बस स्टैण्ड वार्ड नं. 4, लवकुशनगर, जिला-छतरपुर (म.प्र.) 4. श्री नीरज कुमार पटेल आत्मज श्री नारायण दास पटेल, निवासी-महाराजा महाविद्यालय के सामने, कंचन भवन के पीछे, छतरपुर, जिला-छतरपुर (म.प्र.) है. लेकिन श्री नत्थू अहिरवार एवं श्री नीरज कुमार पटेल ने स्वेच्छा से अपने कार्यों की व्यस्तता के कारण फर्म से लेन-देन का पूरा हिसाब कर भागीदारी की शर्त क्रमांक-12 अनुसार विधिवत् नोटिस एवं फर्म की रचना में परिवर्तन के प्रारूप-5 में दिनांक 17 जुलाई, 2017 को अपने हस्ताक्षर कर फर्म से भागीदार समाप्त कर ली है. अत: आज दिनांक 17 जुलाई, 2017 तक किसी व्यक्ति या फर्म का मे. जय कामदगिरि मिनरल्स, तलैया मुहल्ला, लवकुशनगर, जिला-छतरपुर (म.प्र.) के नाम से कोई लेन-देन बांकी हो, तो 15 दिवस तक अपना दावा प्रस्तुत करें. इसके बाद किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जाएगा.

द्वारा-
मे. जय कामदगिरि मिनरल्स,
इन्द्रपाल पटेल, लक्षमण दास गुप्ता,
तलैया मुहल्ला, लवकुशनगर,
जिला-छतरपुर (म.प्र.).

(274-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स विमल त्यागी एण्ड कम्पनी जिसका पंजीयन क्रमांक 146/2002, म.नं. ए-439, न्यू मीनाल रेसीडेंसी, जे.के. रोड, भोपाल के भागीदारी विलेख आपसी सहमति से परिवर्तन किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नानुसार है.

श्री रोबिन त्यागी पुत्र श्री विमल कुमार त्यागी, निवासी म.नं. ए-439, न्यू मीनाल रेसीडेंसी, जे.के. रोड, भोपाल को दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से फर्म से आपसी सहमति से निवृत्त किया जाता है. अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म में निवृत्त भागीदार से फर्म संबंधित कोई लेन-देन, बाद-विवाद अथवा अन्य किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी व्यक्ति, शासकीय या अशासकीय संस्था, बैंक या अन्य किसी संस्था, जिसमें हित प्रभावित होता हो, वह सूचना प्रकाशन में 07 दिन के भीतर मय दस्तावेज सहित कार्यालय में कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर अथवा उक्त समय अवधि पश्चात् किसी प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार फर्म पर बंधनकारी नहीं है अथवा शून्य मानी जाएगी.

शिवल सिंह चौहान,
(अधिवक्ता).
194, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल.

(275-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार फर्म मेसर्स पशुपति बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स, कार्यालय-ई-4/339, अरेरा कॉलोनी, भोपाल जो कि एक भागीदार फर्म है, जिसका पंजीयन क्र. 01/01/01/00519/12, दिनांक 15 मार्च, 2012 पर पंजीकृत फर्म है, जिसमें तीन भागीदार डॉ. सिद्धार्थ सिन्हा, श्रीमती प्रेमलता शर्मा एवं श्री प्रशान्त श्रीवास्तव हैं. सभी की आपसी सहमति से फर्म के दो भागीदार श्रीमती प्रेमलता शर्मा एवं श्री प्रशांत श्रीवास्तव दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा नवीन भागीदार श्री मित्तल श्रीवास्तव को उक्त फर्म में विधिवत् भागीदार बनाया गया है, जिसका साझेदारी विलेख दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को उभय भागीदारों के मध्य निष्पादित किया गया है. अब उक्त फर्म का संचालन दो भागीदारों के संयुक्त हस्ताक्षरों से होता रहेगा. इस हेतु सेवानिवृत्त हुए श्रीमती प्रेमलता शर्मा एवं श्री प्रशान्त श्रीवास्तव को कोई आपत्ति नहीं है न ही भविष्य में होगी.

कुणाल श्रीवास्तव,
(अधिवक्ता).

(276-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर, जिला बड़वानी

रा. प्र. क्र 03-बी-113/2016-17.

फॉर्म नम्बर-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5 (1) के अन्तर्गत]

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर के समक्ष.

आवेदक तेजिन्दरसिंग पिता सबरूपसिंह, निवासी 118, भगतसिंह कॉलोनी, अंधेरी ईस्ट 59, मुम्बई, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश गुरूद्वारा वेलफेयर ट्रस्ट, उमरिया द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश गुरूद्वारा वेलफेयर ट्रस्ट, उमरिया के न्यास को सार्वजनिक न्यास के अन्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह नोटिस के प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर दो प्रतियों में मेरे समक्ष या तो स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा जरिये अभिभाषक के न्यायालयीन समय में प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 11 मई, 2017 को मेरे समक्ष एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(1382)

रा. प्र. क्र 02-बी-113/2016-17.

फॉर्म नम्बर-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5 (1) के अन्तर्गत]

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर के समक्ष.

आवेदक रमेश चौहान पिता मांगीलाल चौहान, निवासी मेन रोड ठीकरी, तहसील ठीकरी, अध्यक्ष, श्री सांईधाम मंदिर ट्रस्ट, ठीकरी

द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत श्री सांईधाम मन्दिर ट्रस्ट, ठीकरी के न्यास को सार्वजनिक न्यास के अन्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह नोटिस के प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर दो प्रतियों में मेरे समक्ष या तो स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा जरिये अभिभाषक के न्यायालयीन समय में प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 17 अप्रैल, 2017 को मेरे समक्ष एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

बी. एस. कलेश,
अनुविभागीय अधिकारी.

(1383)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं लोक न्यास पंजीयक, सागर, जिला सागर

रा.प्र.क्र. वी/121 वर्ष 2016-17. मौजा इतवारी टौरी सागर

क्र. 2114

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रकाशचंद जैन पिता स्व. प्यारेलाल जैन, श्री 1008 आदिनाथ दिसम्बर जैन मंदिर पायगा ट्रस्ट, आदिनाथ कॉलोनी, हनुमान पायगा, इतवारी टौरी, सागर द्वारा नियम 4(2) मध्यप्रदेश लोक न्यास के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर "श्री 1008 दिसम्बर जैन मंदिर पायगा ट्रस्ट, आदिनाथ कॉलोनी, हनुमान पायगा, इतवारी टौरी, सागर" के पंजीयन हेतु निवेदन किया है जिसके कार्यकारी न्यासी और प्रबंधक के नाम पते निम्नानुसार हैं:-

1. श्री चौधरी मोतीलाल जैन पिता स्व. भैयालाल जैन, इतवारी वार्ड, सागर-अध्यक्ष
2. प्रकाशचंद जैन पिता स्व. प्यारेलाल जैन, इतवारी वार्ड, सागर-मंत्री
3. श्री सुभाष चौधरी पिता स्व. भैयालाल जैन, इतवारी वार्ड, सागर-कोषाध्यक्ष
4. श्री अंकुर जैन पिता स्व. मुन्नालाल जैन, इतवारी वार्ड, सागर-सदस्य
5. श्री अजित कुमार जैन पिता स्व. राजाराम जैन, इतवारी वार्ड, सागर-सदस्य
6. श्री मुकेश कुमार पिता जीवनलाल जैन, इतवारी वार्ड, सागर-सदस्य
7. श्री महेन्द्र कुमार जैन पिता स्व. बाबूलाल जैन, इतवारी वार्ड, सागर-सदस्य
8. श्री सौरभ जैन पिता स्व. अरविन्द्र कुमार जैन, कटरा बाजार, सागर-सदस्य
9. श्री अमित चौधरी पिता कमल चौधरी, जवाहरगंज, सागर-सदस्य

न्यास के पदाधिकारियों का निर्वाचन कुल न्यासियों के बहुमत के आधार पर किया जायेगा. न्यास का नाम पता एवं सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है:-

लोक न्यास का नाम	:	श्री 1008 दिसम्बर जैन मंदिर पायगा ट्रस्ट,
पता	:	आदिनाथ कॉलोनी, हनुमान पायगा, इतवारी टौरी, सागर.
चल सम्पत्ति	:	संलग्न सूची अनुसार.
अचल सम्पत्ति (क)	:	श्री 1008 दिसम्बर जैन मंदिर पायगा ट्रस्ट, आदिनाथ कॉलोनी, हनुमान पायगा, इतवारी टौरी, सागर. भूमि खसरा नंबर 182/2 रकवा 226 वर्गफुट प्लाट. भूमि खसरा नंबर 182/1 रकवा 307 वर्गफुट प्लाट. भूमि खसरा नंबर 182 रकवा 340 वर्गफुट प्लाट.

अत: उपरोक्त ट्रस्ट रजिस्ट्रर्ड किये जाने में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा उजर हो, तो वह पेशी दिनांक 14 अगस्त, 2017 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है बाद गुजरने म्याद के किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा उजर पर विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 30 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

पेशी दिनांक 14 -08-2017

जारी दिनांक 30-06-2017

एल. के. खरे,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(1384)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, नीमच

प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-5, उपधारा-2 और म. प्र. लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5(1) देखिए]

चूंकि श्रीमती दुर्गा शर्मा पति डॉ. विनोद कुमार शर्मा, भृगु ज्योतिष गृह, सिटी रोड, नीमच, जिला नीमच (मध्यप्रदेश) द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 15 जून, 2017 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है.

अत: मैं, आदित्य शर्मा, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 15 जून, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता	:	"आयआयटीयन इंजीनियर छबिल शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट, नीमच" भृगु ज्योतिष गृह, सिटी रोड, नीमच, जिला नीमच (मध्यप्रदेश).
लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण:-		
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	रु. 10,000/-(अक्षरी रुपये दस हजार मात्र)

दिनांक 09 जनवरी, 2017.

(1385)

प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-5, उपधारा-2 और म. प्र. लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5(1) देखिए]

चूंकि श्री प्रहलाद पिता मोहनलाल पाटीदार, निवासी केलूखेड़ा, वार्ड नंबर-5, मकान नंबर-27, पोस्ट पालसौड़ा, तहसील जीरन, जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 11 जुलाई, 2017 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है.

अत: मैं, आदित्य शर्मा, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 11 जुलाई, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता	:	"पाटीदार विकास परिषद् ट्रस्ट" निवासी-नीमच, जिला नीमच.
लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण:-		
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	रु. 5,000/-(अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र)

दिनांक 12 जून, 2017.

आदित्य शर्मा,
पंजीयक.

(1386)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन

प्रकरण क्र. 0008/बी-113/2015-16.

उज्जैन, दिनांक 10 जुलाई, 2017

प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2)
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास, उज्जैन,
जिला उज्जैन के समक्ष.

चूंकि आवेदक श्री तकेसिंह पिता श्री रंजीतसिंह धेलिया द्वारा ''समस्त बागरी चंद्रवंशी समाज महापंचायत न्यास उज्जैन धर्मशाला", तह. व जिला उज्जैन, कार्यालय-नरसिंह घाट, उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 10 जुलाई, 2017 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 10 अगस्त, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का वर्णन)

न्यास का नाम	:	''समस्त बागरी चंद्रवंशी समाज महापंचायत न्यास उज्जैन धर्मशाला"
कार्यालय	:	नरसिंह घाट, उज्जैन, तह. व जिला उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	:	दस्तावेज प्रस्तुत न करने से निरंक है.
चल सम्पत्ति	:	चल सम्पत्ति के रूप में भारतीय स्टेट बैंक, जावरा रोड शाखा, जिला खाचरोद में 5,000/- जमा हैं.

(1387)

प्रकरण क्र. 0022/बी-113/2016-17.

उज्जैन, दिनांक 10 जुलाई, 2017

प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2)
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,
उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूंकि आवेदक अध्यक्ष, श्री वीरेन्द्र कुमार पारसचंद्रजी गोलेचा द्वारा ''श्री गुरूराज फाउण्डेशन ट्रस्ट, पता 37, नमक मंडी, 56 भेरू की गली, बोथरा की गुवाडी, उज्जैन", तह. व जिला उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विर्निदिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 17 अगस्त, 2017 को प्रात: 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 17 अगस्त, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	:	''श्री गुरूराज फाउण्डेशन ट्रस्ट"
कार्यालय	:	37, नमक मंडी, 56 भेरू की गली, बोथरा की गुवाडी, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	:	न्यास के घोषणा-पत्र अनुसार अचल सम्पत्ति निरंक है.
चल सम्पत्ति	:	चल सम्पत्ति के रूप में यूको बैंक, दौलतगंज, उज्जैन में रु. 5,000/- जमा हैं.

शितिज शर्मा,
पंजीयक एवं डिप्टी कलेक्टर.

(1388)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, बण्डा, जिला सागर

प्र. क्र. 03 बी-113(1)/वर्ष 2015-16.

बण्डा, दिनांक . . .मई, 2017

मौजा-चारौधा/गोराखुर्द, तह. बण्डा

1. गनेशसींग पिता फूलसींग लोधी
निवासी चारौधा/गोराखुर्द. आवेदक

विरुद्ध

2. म.प्र. शासन अनावेदक

क्र./क/ /रीडर-1/2017.-सर्व-साधारण को इश्तहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक गनेशसींग पिता फूलसींग, निवासी ग्राम चारौधा, तहसील बण्डा, जिला सागर के द्वारा मौजा चारौधा प.ह.नं., तहसील बण्डा, जिला सागर में स्थित श्री देव जानकीरमण जी मंदिर, व्यवस्थापक, पुजारी फूलसींग, प्रबंधक, कलेक्टर महोदय, सागर के नाम खसरा नं. 412 एवं 414, रकबा क्रमश: 1.20 एवं 1.24 तथा गोराखुर्द स्थित श्री देव मुरलीधर जी मंदिर व्यवस्थापक, फूलसींग प्रबंधक, कलेक्टर महोदय, सागर के नाम खसरा नं. 726, रकबा 9.78 दर्ज है. आवेदक द्वारा

पूर्व मुहत्तमकार स्व. फूलसींग, सा. चारौधा, तह. बण्डा की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप आवेदक स्वयं को मुहत्तमकार दर्ज किए जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

आवेदन पर तहसीलदार, बण्डा से प्रतिवेदन लिया गया उन्होंने अपने प्रतिवेदन दिनांक 09 नवम्बर, 2016 में लेख किया है कि मंदिर में मौजा चारौधा स्थित भूमि खसरा नं. 412, 414 रकबा 1.20 तथा 1.24 में स्थित श्रीदेव जानकीरमण मंदिर एवं श्री मुरलीधर जी मंदिर की व्यवस्थापन पूजा-अर्चना पुजारी गनेशसींग पिता फूलसींग कर रहे हैं तथा उन्हें ही मंदिर व्यवस्थापक नियुक्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

अत: आवेदक गनेशसींग पिता फूलसींग, निवासी चारौधा को मुहत्तमकार नियुक्त किए जाने में जिस किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति समक्ष में पेशी दिनांक 17 जुलाई, 2017 को स्वयं अथवा अपने वैद्य प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. बाद म्याद गुजरने पर आपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा.

इश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

जारी दिनांक 30 मई, 2017,

पेशी दिनांक 17 जुलाई, 2017.
25 सितम्बर, 2017.

बी. बी. पाण्डेय,

(1389) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक "श्री डांगे स्मृति ट्रस्ट", पता-360, लोक मान्य नगर, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री विश्वास केशव पिता श्री केशव नारायण डांगे, निवासी-360, लोक मान्य नगर, इन्दौर द्वारा "श्री डांगे स्मृति ट्रस्ट" (मध्यप्रदेश) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम	:	"श्री डांगे स्मृति ट्रस्ट"
2.	पता	:	कार्यालय-360, लोक मान्य नगर, इन्दौर (मध्यप्रदेश)
3.	चल-अचल संपत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति में राशि रुपये 3,000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार मात्र) है तथा अचल संपत्ति निरंक है.

आज दिनांक 19 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1390)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक "जन जागृति धार्मिक, शिक्षा एवं सामाजिक सेवा संस्थान ट्रस्ट", पता-67, रेवेन्यू नगर, बिचौली हप्सी रोड, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी/अध्यक्ष श्री किस नॉर्मन बेबता पिता नवीन बेबर्ता, निवासी-67, रेवेन्यू नगर, बिचौली हप्सी रोड, इन्दौर द्वारा "जन जागृति धार्मिक, शिक्षा एवं सामाजिक सेवा संस्थान ट्रस्ट" (मध्यप्रदेश) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम	:	"जन जागृति धार्मिक, शिक्षा एवं सामाजिक सेवा संस्थान ट्रस्ट"
2.	पता	:	कार्यालय-67, रेवेन्यू नगर, बिचौली हप्सी रोड, इन्दौर (मध्यप्रदेश)
3.	चल-अचल संपत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति में राशि रुपये 1,100/- (अक्षरी रुपये एक हजार एक सौ मात्र) है तथा अचल संपत्ति निरंक है.

आज दिनांक 19 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1391)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक "श्री चिडार समाज पारमार्थिक ट्रस्ट", पता-528, पाटनीपुरा, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री लीला किशन पिता श्री श्यामलाल, निवासी-207, माली मोहल्ला, भवंरकुआ, इन्दौर द्वारा "श्री चिडार समाज पारमार्थिक ट्रस्ट" (मध्यप्रदेश) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम	:	"श्री चिडार समाज पारमार्थिक ट्रस्ट"
2.	पता	:	कार्यालय-528, पाटनीपुरा, इन्दौर (मध्यप्रदेश)
3.	चल-अचल संपत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति में राशि रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र) है तथा अचल संपत्ति निरंक है.

आज दिनांक 20 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1392)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक "श्री शिवप्रसाद औंकारलाल चेरिटेबल ट्रस्ट", पता-44, वल्लभ नगर, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री अभिषेक पिता श्री अरविन्द चौरसिया, निवासी-8/1, डॉ. रोशनसिंह भण्डारी मार्ग, इन्दौर द्वारा "श्री शिवप्रसाद औंकारलाल चेरिटेबल ट्रस्ट" (मध्यप्रदेश) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम	:	"श्री शिवप्रसाद औंकारलाल चेरिटेबल ट्रस्ट"
2.	पता	:	कार्यालय-44, वल्लभ नगर, इन्दौर (मध्यप्रदेश)
3.	चल-अचल संपत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति में राशि रुपये 78,600/- (अक्षरी रुपये अठत्तर हजार छः सौ मात्र) है तथा अचल संपत्ति में म्यु.पा. भवन क्रमांक 11, परदेशीपुरा रोड नंबर 4, इन्दौर पैकि तल मंजिल स्थित एक कमरे में जिसकी पूर्व-पश्चिम लम्बाई 19 फीट एवं उत्तर-दक्षिण चौड़ाई 13.3 फीट कुल क्षेत्रफल 251.75 वर्गफीट है.

आज दिनांक 20 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1393)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक "श्री महर्षि गौतम ट्रस्ट", पता-3/4, बिजासन कॉलोनी, एरोड्रम रोड, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री विष्णुप्रकाश पिता श्री सोमेश्वर व्यास, निवासी-60, इंदिरा गांधी नगर, इन्दौर द्वारा "श्री महर्षि गौतम ट्रस्ट" (मध्यप्रदेश) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम	:	"श्री महर्षि गौतम ट्रस्ट"
2.	पता	:	कार्यालय-3/4, बिजासन कॉलोनी, एरोड्रम रोड, इन्दौर (मध्यप्रदेश)
3.	चल-अचल संपत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति में राशि रुपये 78,600/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र) है तथा अचल संपत्ति निरंक है.

आज दिनांक 20 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1394)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक "श्री महावीर स्वामी जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट", पता-4-बी, नीलकंठ कॉलोनी, राधानगर, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री उत्सवलाल पिता श्री मिश्रीलाल पोरवाल, निवासी-4-बी, राधानगर, इन्दौर द्वारा "श्री महावीर स्वामी जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट", नीलकंठ कॉलोनी, राधानगर, इन्दौर (मध्यप्रदेश) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम	:	"श्री महावीर स्वामी जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट"
2.	पता	:	कार्यालय-4-बी, नीलकंठ कॉलोनी, राधानगर, इन्दौर (मध्यप्रदेश)
3.	चल-अचल संपत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति निरंक है तथा अचल संपत्ति नीलकंठ कॉलोनी, इन्दौर पर स्थित म्युनिसिपल क्रमांक-51 (पुराना नंबर 42) है. सदर भू-खण्ड की लम्बाई 45 फीट व चौड़ाई 30 फीट होकर कुल क्षेत्रफल 1350 (एक हजार तीन सौ पचास) वर्गफीट अर्थात् 125.41 वर्गमीटर है. जो ट्रस्ट घोषणाकर्ता श्री उत्सवलाल पिता श्री मिश्रीलाल पोरवाल के द्वारा विक्रेता श्री जयनाथ पिता स्वर्गीय श्री वसंदामलजी, निवासी-जी-11, रतलाम कोठी कॉलोनी, इन्दौर से क्रय किया गया है.

आज दिनांक 30 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1395)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक "श्री दक्षिण क्षेत्र माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट", पता-308, द्वारकापुरी, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री कमल कुमार पिता श्री लक्ष्मीनारायण बाहेती, पता-308, द्वारकापुरी, इन्दौर द्वारा "श्री दक्षिण क्षेत्र माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट", इन्दौर (मध्यप्रदेश) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम	:	"श्री दक्षिण क्षेत्र माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट"
2.	पता	:	कार्यालय-308, द्वारकापुरी, इन्दौर (मध्यप्रदेश)
3.	चल-अचल संपत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति में न्यासीगणों के द्वारा योगदान से रुपये 5,100/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार एक सौ मात्र) है तथा अचल संपत्ति निरंक है.

आज दिनांक 30 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

बिहारीसिंह,
पंजीयक.

(1396)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, बण्डा, जिला सागर

प्र.क्र. 05/बी-113 (1)/2016-17. ग्राम-बण्डा, तहसील बण्डा, जिला सागर

प्ररूप-पाँच

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5 का उपनियम (1) देखिए]

लोक न्यास के पंजीयक बण्डा, जिला सागर के समक्ष.

क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के अभिप्राय के लिए लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास, बण्डा, जिला सागर का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 29 अगस्त, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासीगण या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को सूचना के प्रकाशन दिनांक के एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत करना और मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

श्री श्री 1008 आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर दया निकेतन शोध संस्थान, नेमीनगर, बण्डा, तहसील बण्डा,

जिला सागर की सम्पत्ति का विवरण

भूमि :-

मौजा/ह.नं.	तहसील	कब्जेदार का नाम	तहसील	खसरा	रकबा
बण्डा-0034	बण्डा	श्री श्री 1008 आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर	बण्डा	487/4	0.405
तहसील बण्डा,		दया निकेतन शोध संस्थान, नेमीनगर,		488/1	0.531
जिला-सागर		बण्डा, तहसील बण्डा, जिला सागर.		488/2	1.072
		अध्यक्ष, श्री प्रकाश चन्द्र जैन		488/3	0.531
		पिता स्व. श्री दशरथ लाल जैन.		559/5	0.809
				559/18	0.201
				559/57	0.512
				559/67	0.016
				कुल 08	**4.077 हे.**

न्यास का बैंक खाता :-

क्र.	बैंक का नाम	बैंक खाता नम्बर	दिनांक 21 मार्च, 2017 को बैंक में जमा राशि
1.	सेन्ट्रल बैंक, शाखा बण्डा	1926905682	2,306
2.	भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बण्डा	30153558489	50,70
3.	मध्यान्चल ग्रामीण बैंक, शाखा बण्डा	8005124886	55,004
		अंकन :- रुपये बासठ हजार तीन सौ अस्सी रुपया मात्र योग 62,380	

संलग्न : प्रारूप क्र.-3, प्रारूप क्र.-1, नियमावली, नजरी नक्शा, खसरा बी-1 नकल, कार्यवाही विवरण.

दिनांक 22 जुलाई, 2017.

बी. पी. पाण्डेय,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(1397)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री ओ. एन. शर्मा, A.O./1077.

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी,

जय सिद्ध बाबा खनिज सहकारी संस्था मर्या., पारौली.

यहकि जय सिद्ध बाबा खनिज सहकारी संस्था मर्या., पारौली, पंजीयन क्र./ए.आर./एम.एन.ए./1079, दिनांक 10 जून, 1996 जिसे आगे संस्था कहा गया है के संबंध में निम्नानुसार आरोप हैं.—

1. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित संबंध के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित संबर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
3. संस्था द्वारा अंकेक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है. वित्तीय पत्रक पंजीयक को नहीं भेजे जा रहे हैं.
4. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे प्राप्त हैं का उपयोग करते हुये मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बाबत में दिनांक 21 जुलाई, 2017 को लिखित उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 22 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

सी. पी. एस. भदौरिया,
उप-पंजीयक.

(1861)

कार्यालय परिसमापक, मैथलीशरण गुप्त गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम, 57(ग) के अन्तर्गत]

मैथलीशरण गुप्त गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./461, दिनांक 20 जुलाई, 1990 है, को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/730, ग्वालियर, दिनांक 25 मार्च, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझ मुकेश कुमार सिंघल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेख-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 30 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. के. सिंघल,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(1862)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, शहडोल

शहडोल दिनांक 21 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत्]

क्र./परि./2017/938.—जिले में स्थित दक्षिण पूर्व रेलवे कर्मचारी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, शहडोल पंजीयन क्रमांक 01, दिनांक 01 अगस्त, 1953 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.5-1-99/पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दक्षिण पूर्व रेलवे कर्मचारी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, शहडोल का पंजीयन क्रमांक 01, दिनांक 01 अगस्त, 1953 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कार्पोरेट-बाडी) के रूप में विद्धमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 21 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1863)

शहडोल दिनांक 21 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत्]

क्र./परि./2017/939.—जिले में स्थित विराट प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, सोहागपुर वार्ड क्र. 1 से 4 पंजीयन क्रमांक 836, दिनांक 26 मार्च, 1991 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.5-1-99/पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत विराट प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, सोहागपुर, वार्ड क्र. 1 से 4 पंजीयन क्रमांक 836, दिनांक 26 मार्च, 1991 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कार्पोरेट-बाडी) के रूप में विद्धमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 21 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. परते,
उपायुक्त सहकारिता.

(1863-A)

कार्यालय परिसमापक, मातेश्वरी प्राथमिक सहकारी उप. भंडार मर्या., खरगौन

खरगौन, दिनांक 19 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

मातेश्वरी प्राथमिक सहकारी उप. भंडार मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक/केआरजीएन/1617, दिनांक 11 अगस्त, 2011 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परि./2016/1059, खरगौन, दिनांक 27 अगस्त, 2016

से अधिनियम की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होंने से दायित्वाधीन होंगे.

यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका कोई भी दावा/क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

(1864)

कार्यालय परिसमापक, साथिया प्राथमिक सहकारी उप. भंडार मर्या., खरगौन

खरगौन, दिनांक 19 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

साथिया प्राथमिक सहकारी उप. भंडार मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक/केआरजीएन/1431, दिनांक 14 जुलाई, 2005 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परि./2016/1059, खरगौन, दिनांक 27 अगस्त, 2016 से अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होंने से दायित्वाधीन होंगे.

यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका कोई भी दावा/क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

(1864-A)

कार्यालय परिसमापक, कल्याणकारी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खरगौन

खरगौन, दिनांक 19 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

कल्याणकारी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक/केआरजीएन/1568, दिनांक 27 अप्रैल, 2009 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परि./2016/1059, खरगौन, दिनांक 27 अगस्त, 2016 से अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होंने से दायित्वाधीन होंगे.

यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका कोई भी दावा/क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

राजेन्द्र महाजन,

(1864-B) सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 20 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2160.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 481, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिहलन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., परसोली, तह. घटिया, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 510, दिनांक 29 सितम्बर, 1980 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री मुकेश गुप्ता, स. नि को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1865)

उज्जैन, दिनांक 20 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2161.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 738, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेड़ावदा, तह. खाचरोद जिसका पंजीयन क्रमांक 1805, दिनांक 20 दिसम्बर, 2012 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पुरूषोत्तम सोनी, उप अंके. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1865-A)

उज्जैन, दिनांक 20 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2162.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 738, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौकी, तह. खाचरोद, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1808, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. जोशी, उप अंके. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1865-B)

उज्जैन, दिनांक 20 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2163.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 738, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नावटिया, तह. खाचरोद जिसका पंजीयन क्रमांक 1813, दिनांक 18 फरवरी, 2013 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. जोशी, उप अंके. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1865-C)

उज्जैन, दिनांक 20 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2164.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 738, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., केसरिया, तह. खाचरोद, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1801, दिनांक 05 नवम्बर, 2012 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पुरूषोत्तम सोनी, उप अंके. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1865-D)

उज्जैन, दिनांक 20 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2165.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 479, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कमठाना, तह. खाचरोद, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 608, दिनांक 06 जून, 1983 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. परमार, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1865-E)

उज्जैन, दिनांक 20 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2166.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3018, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इंगोरिया, तह. बड़नगर, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 587, दिनांक 04 सितम्बर, 1982 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. पी. बहोरे, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1865-F)

उज्जैन, दिनांक 20 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2168.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 477, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामगढ़, तह. घटिया, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 566, दिनांक 11 मई, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र मालवीय, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1865-H)

उज्जैन, दिनांक 20 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2170.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 477, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रुई, तह. घटिया, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 703, दिनांक 13 मई, 1985 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र मालवीय, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1865-J)

उज्जैन, दिनांक 20 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2172.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा अंवतिका पावरलूम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 14, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री समीर हरदास, उप अंके. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1865-L)

उज्जैन, दिनांक 20 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2173.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 481, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कायथा, तह. तराना जिसका पंजीयन क्रमांक 513, दिनांक 29 सितम्बर, 1980 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री दिनेश गुप्ता, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1865-M)

उज्जैन, दिनांक 25 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1896.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1673, दिनांक 23 जुलाई, 2016 द्वारा भारत कृषि उपज विपणन भण्डारण एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1563, दिनांक 15 मई, 2001 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1380-O)

उज्जैन, दिनांक 25 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1897.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2013, दिनांक 13 सितम्बर, 2016 द्वारा कावेरी प्रिंटिंग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1725, दिनांक 20 मई, 2009 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1380-P)

उज्जैन, दिनांक 30 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1949.–कार्यालयीन आदेश क्रमांक 582, दिनांक 25 फरवरी, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरोठिया, तहसील तराना जिसका पंजीयन क्रमांक 475, दिनांक 25 अगस्त, 1980 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष सांकलिया, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1380-Q)

उज्जैन, दिनांक 30 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1950.–कार्यालयीन आदेश क्रमांक 582, दिनांक 25 फरवरी, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आसेर, तहसील तराना जिसका पंजीयन क्रमांक 506, दिनांक 23 सितम्बर, 1980 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष सांकलिया, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1380-R)

उज्जैन, दिनांक 30 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1951.–कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2517, दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 द्वारा विवेकानन्द प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., तराना जिसका पंजीयन क्रमांक 937, दिनांक 14 जनवरी, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एल. चौहान, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1380-S)

उज्जैन, दिनांक 30 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1952.–कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3072, दिनांक 23 नवम्बर, 2016 द्वारा श्री गिरिराज प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1753, दिनांक 21 सितम्बर, 2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. एल. बागोरा, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1380-T)

उज्जैन, दिनांक 30 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1953.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1905, दिनांक 21 सितम्बर, 2012 द्वारा श्री राम बीज विपणन एवं प्रक्रिया उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घट्टिया जिसका पंजीयन क्रमांक 1734, दिनांक 10 अक्टूबर, 2009 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. मालवीय, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1380-U)

उज्जैन, दिनांक 30 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1954.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 741, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बालोदालख्ख, तहसील बड़नगर जिसका पंजीयन क्रमांक 1853, दिनांक 19 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आशीष शर्मा, उप अंके. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1380-W)

उज्जैन, दिनांक 20 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2167.-लोकप्रिय बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भैसलाखुर्द, बड़नगर, पंजीयन क्रमांक 2211, दिनांक 04 सितम्बर, 2015 आदेश क्रमांक/परि./3562, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. बी. कनकने, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गई है.

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं डॉ मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं उज्जैन, मध्यप्रदेश, शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./3562, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अन्तर्गत लोकप्रिय बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भैसलाखुर्द, पंजीयन क्रमांक 2211, दिनांक 04 सितम्बर, 2015 को पुनर्जीवित करता हूं साथ ही संस्था के कार्यसंचालन हेतु प्रबंध समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री आर. बी. कनकने, उप अंकेक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1865-G)

उज्जैन, दिनांक 20 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2169.–महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पलसोड़ा, बड़नगर, पंजीयन क्रमांक 2212, दिनांक 04 सितम्बर, 2015 आदेश क्रमांक/परि./3562, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. बी. कनकने, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गई है.

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं डॉ मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं उज्जैन, मध्यप्रदेश, शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./3562, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अन्तर्गत महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पलसोड़ा, पंजीयन क्रमांक 2212, दिनांक 04 सितम्बर, 2015 को पुनर्जीवित करता हूं साथ ही संस्था के कार्यसंचालन हेतु प्रबंध समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री आर. बी. कनकने, उप अंकेक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1865-I)

उज्जैन, दिनांक 20 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2171.–सार्थक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., असावता, बड़नगर, पंजीयन क्रमांक 2229, दिनांक 11 सितम्बर, 2015 आदेश क्रमांक/परि./2357, दिनांक 30 सितम्बर, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री सी. एस. असोड़िया, सह. नि. को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गई है.

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं डॉ मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं उज्जैन, मध्यप्रदेश, शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./2357, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अन्तर्गत सार्थक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., असावता, पंजीयन क्रमांक 2357, दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को पुनर्जीवित करता हूं साथ ही संस्था के कार्यसंचालन हेतु प्रबंध समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री सी. एस. असोड़िया, सह. नि. को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1865-K)

उज्जैन, दिनांक 30 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1955.—माँ भवानी बीज सहकारी संस्था मर्या., मुरारखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 2169, दिनांक 20 अगस्त, 2015 आदेश क्रमांक/परि./3562, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. बी. करकने, उप अंके को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गई है.

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं डॉ मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं उज्जैन, मध्यप्रदेश, शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./3562, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अन्तर्गत माँ भवानी बीज सहकारी संस्था मर्या., मुरारखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 2169, दिनांक 20 अगस्त, 2015 को पुनर्जीवित करता हूं साथ ही संस्था के कार्यसंचालन हेतु प्रबंध समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री आर. बी. करकने, उप अंके को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1380-X)

उज्जैन, दिनांक 30 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1956.—बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चापानेर, पंजीयन क्रमांक 2165, दिनांक 20 अगस्त, 2015 आदेश क्रमांक/परि./3562, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री संजय देवलालीकर, उप अंके को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गई है.

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं डॉ मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं उज्जैन, मध्यप्रदेश, शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./3562, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अन्तर्गत बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चापानेर, पंजीयन क्रमांक 2165, दिनांक 20 अगस्त, 2015 को पुनर्जीवित करता हूं साथ ही संस्था के कार्यसंचालन हेतु प्रबंध समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री संजय देवलालीकर, उप अंके को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1380-Y)

उज्जैन, दिनांक 30 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1957.—धन लक्ष्मी बीज सहकारी संस्था मर्या., इंगोरिया, पंजीयन क्रमांक 2200, दिनांक 21 अगस्त, 2015 आदेश क्रमांक/परि./3562, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. बी. करकने, उप अंके को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गई है.

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं डॉ मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं

उज्जैन, मध्यप्रदेश, शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./3562, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अन्तर्गत धन लक्ष्मी बीज सहकारी संस्था मर्या., इंगोरिया, पंजीयन क्रमांक 2200, दिनांक 21 अगस्त, 2015 को पुनर्जीवित करता हूं साथ ही संस्था के कार्यसंचालन हेतु प्रबंध समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री आर. बी. करकने, उप अंके को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1380-Z)

उज्जैन, दिनांक 30 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1958.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिलवानिया, पंजीयन क्रमांक 1851, दिनांक 19 मार्च, 2014 आदेश क्रमांक/परि./741, दिनांक 08 मार्च, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आशीष शर्मा, उप अंके को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गई है.

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं डॉ मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं उज्जैन, मध्यप्रदेश, शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./741, दिनांक 08 मार्च, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिलवानिया, पंजीयन क्रमांक 1851, दिनांक 19 मार्च, 2014 को पुनर्जीवित करता हूं साथ ही संस्था के कार्यसंचालन हेतु प्रबंध समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री आशीष शर्मा, उप अंके को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1381)

उज्जैन, दिनांक 30 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1959.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खण्डवासुरा, पंजीयन क्रमांक 672, दिनांक 06 अप्रैल, 1984 आदेश क्रमांक/परि./582, दिनांक 25 फरवरी, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. मेहर, स. नि. को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गई है.

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं डॉ मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं उज्जैन, मध्यप्रदेश, शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./582, दिनांक 25 फरवरी, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खण्डवासुरा, पंजीयन क्रमांक 672, दिनांक 06 अप्रैल, 1984 को पुनर्जीवित करता हूं साथ ही संस्था के कार्यसंचालन हेतु प्रबंध समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री आर. एस. मेहर, स. नि. को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1381-A)

उज्जैन, दिनांक 31 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1963.—माँ कालिका बीज सहकारी संस्था मर्या., इंगोरिया, पंजीयन क्रमांक 2176, दिनांक 20 अगस्त, 2015 आदेश

क्रमांक/परि./3562, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. बी. कनकने, उप अंके को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गई है.

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं डॉ मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं उज्जैन, मध्यप्रदेश, शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./3562, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अन्तर्गत माँ कालिका बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., इंगोरिया, पंजीयन क्रमांक 2176, दिनांक 20 अगस्त, 2015 को पुनर्जीवित करता हूं साथ ही संस्था के कार्यसंचालन हेतु प्रबंध समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री आर. बी. कनकने, उप अंके को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1381-B)

उज्जैन, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1617.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	माँ उमिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कचनारिया, तह. तराना.	2107/17-07-2015

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 09 जनवरी, 2017 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	माँ उमिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कचनारिया.	2107/17-07-2015	श्री ए. के. मालवीय, उप अंके.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1380)

उज्जैन, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1618.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ

सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	जय बजरंग बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घड़सिंगा, तह. बड़नगर.	1951/19-12-2014

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 09 जनवरी, 2017 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	जय बजरंग बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घड़सिंगा.	1951/19-12-2014	श्री एस. एल. चौहान, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1380-A)

उज्जैन, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1619.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेड़ा जामोन्या, तह. तराना.	1852/19-03-2014

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 09 जनवरी, 2017 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेड़ा जामुन्या, तह. तराना.	1852/19-03-2014	श्री ए. के. मालवीय, उप अंके.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1380-B)

उज्जैन, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1621.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्री नागछत्रेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1656/08-02-2015

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 22 दिसम्बर, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	श्री नागछत्रेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1656/08-02-2015	श्री दिलीप असरानी, व. स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1380-C)

उज्जैन, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1622.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	तिलावद बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तिलावद (तराना)	2108/17-07-2015

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 22 दिसम्बर, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	तिलावद बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तिलावद	2108/17-07-2015	श्री ए. के. मालवीय, उप अंके.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1380-D)

उज्जैन, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1623.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., मेरखेड़ी	2287/05-12-2015
2.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., जलवाल	2290/10-12-2015
3.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., खड़ौदा	2295/08-02-2016

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 22 दिसम्बर, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., मेरखेड़ी (तराना)	2287/05-12-2015	श्री ए. के. मालवीय, उप अंके.
2.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., जलवाल (खाचरोद)	2290/10-12-2015	श्री राजेश शेर, उप अंके.
3.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., खड़ौदा (खाचरोद)	2295/08-02-2016	श्री राजेश शेर, उप अंके.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1380-E)

उज्जैन, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1625.–इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	माँ दुर्गा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोगाखेड़ा, तह. महीदपुर.	2227/11-09-2015

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 20 फरवरी, 2017 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत

संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	माँ दुर्गा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोगाखेड़ा (महिदपुर).	2227/11-09-2015	श्री राजेन्द्र वर्मा, सह. वि. अधिकारी, महिदपुर.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1380-F)

उज्जैन, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1626.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुमारवाड़ी, तह. खाचरोद.	1882/21-10-2014

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 20 फरवरी, 2017 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुमारवाड़ी	1882/21-10-2014	श्री राजेश शेर, उप अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1380-G)

उज्जैन, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1628.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लेकोड़ा आंजना, तह. खाचरोद.	2306/30-05-2016

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 20 फरवरी, 2017 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लेकोड़ा आंजना.	2306/30-05-2016	श्री राजेश शेर, उप अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1380-H)

उज्जैन, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1629.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	बाबा श्री साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	133/25-02-2011

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 05 दिसम्बर, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	बाबा श्री साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	133/25-02-2011	श्री मुकेश गुप्ता, सह. वि. अधिकारी, उज्जैन.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1380-I)

उज्जैन, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1629.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	सुभम साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1415/22-02-1996

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 05 दिसम्बर, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था

अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	सुभम साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1415/22-02-1996	श्री मुकेश गुप्ता, सह. वि. अधिकारी, उज्जैन.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1380-J)

उज्जैन, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1629.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	युनाईटेड साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	77/02-02-2005

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 05 दिसम्बर, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	युनाईटेड साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	77/02-02-2005	श्री मुकेश गुप्ता, सह. वि. अधिकारी, उज्जैन.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1380-K)

उज्जैन, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1629.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	किरण साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	104/16-09-2008

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 05 दिसम्बर, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	किरण साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	104/16-09-2008	श्री मुकेश गुप्ता, सह. वि. अधिकारी, उज्जैन.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1380-L)

उज्जैन, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1629.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	हरसिद्धि साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1773/13-04-2012

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 05 दिसम्बर, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	हरसिद्धि साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1773/13-04-2012	श्री मुकेश गुप्ता, सह. वि. अधिकारी, उज्जैन.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(1380-M)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अगस्त, 2017-श्रावण 20, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

निरंक

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.